

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या:-V/उ0-2-01/2023 (खंड) - 153 / श्री आदित्य कुमार झा, परिक्ष्यमान अधीक्षक मद्यनिषेध (पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत), गृह जिला-मधुबनी को अगले आदेश तक विशेष अधीक्षक मद्यनिषेध, ई0आई0बी0, मुख्यालय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री झा को विभागीय पत्रांक-3173 दिनांक-12.06.2025 द्वारा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के तृतीय चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध, पटना के कार्यालय से संबद्ध किया जाता है।

3. श्री झा द्वारा विशेष अधीक्षक मद्यनिषेध, ई0आई0बी0, मुख्यालय का अविलम्ब प्रभार ग्रहण किया जाएगा। तदोपरांत संबंधित सहायक आयुक्त मद्यनिषेध के कार्यालय में योगदान देकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के तृतीय चरण का प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक:-.....

ज्ञापांक:- V/उ0-2-01/2023 (खंड)

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई गजट कोषांग, पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक:-.....

ज्ञापांक:- V/उ0-2-01/2023 (खंड)

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक:-.....

ज्ञापांक:- V/उ0-2-01/2023 (खंड)

प्रतिलिपि:-समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक:- 08.01.26

ज्ञापांक:- V/उ0-2-01/2023 (खंड)

153

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/सभी उपायुक्त मद्यनिषेध/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-8 ए/श्री आदित्य कुमार झा, परीक्ष्यमान अधीक्षक मद्यनिषेध एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।